

## कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर (म.प्र.)


//आदेश//

क्रमांक-555/दो-11-5/84

सागर, दिनांक 29/05/2024

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के राजपत्र दिनांक- 28.06.2019 द्वारा प्रकाशित म.प्र. जिला न्यायालय स्थापना (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम 2016 के आलोक में जिला स्थापना पर गठित पदोन्नति समिति द्वारा की गई अनुशांसा एवं प्रतिवेदन दिनांक- 29.05.2024 के अनुसार कुटुम्ब न्यायालय स्थापना सागर हेतु रिक्त लेखापाल के पद पर वेतनमान 5200-20200+2800(सातवां वेतनमान- 28700-91300) लेवल 7 में निम्न सहायक लेखापाल को क्रमानुसार दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से पदोन्नत किया जाता है-

कं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पद	पदोन्नत पद	रिमार्क
1	श्री बलराम पटैल	सहायक लेखापाल, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर	लेखापाल, कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय सागर	श्री रवि सोनी लेखापाल कुटुम्ब न्यायालय सागर के उपप्रशासनिक अधिकारी सागर के पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त हुये पद पर


  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
सागर, म.प्र. 29.05.2024

पृ. क्रमांक-2517/दो-11-5/84

सागर, दिनांक- 29.05.2024

प्रतिलिपि-

01. प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय सागर, की ओर सूचनाार्थ।
02. श्री बलराम पटैल सहायक लेखापाल, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक- 01.06.2024 तक या उसके पूर्व पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुये वर्तमान लेखापाल से विस्तृत चार्ज आदान प्रदान कर चार्ज सूची संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करें।

  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
सागर, म.प्र.